

पुनरावृत्ति आज राष्ट्रीय लोक अदालत के मंच
 मिलावाइ में पेश हुई। पुनरावृत्ति का आवलोकन
 किया गया। मुकदमे के रिकॉर्ड जांच की गई।
 पता चला कि कर्तव्य किया जाकर था। नारायण
 के पिता का नाम पूरा के स्थान पर पुनरावृत्ति
 संकेत करने के आदेश। L.R. Act की धारा
 136 के अंतर्गत दिए गए। आदेश पत्रक
 से लिखा जाकर उपरोक्त जाइल किया
 गया। पुनरावृत्ति केसल सुनार दीवार बाह
 वाली वाली बाहरील दफ्तर ही

(Signature)
 सहायक
 लोक अदालत, मिर्जापुर
 मिर्जापुर


राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़

—:: आदेश ::—

दिनांक 12.11.2022

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प झालावाड़ में आज दिनांक 12.11.2022 को पत्रावली पेश हुई । प्रार्थना पत्र प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम टेकली, पटवार मण्डल गुराड़खेड़ा तहसील बकानी जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2077 में खाता सं० नया 32 पुराना 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-


क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	टेकली	32	नारायण आ० पूरा	नारायण आ० पूरीलाल


उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़

दिनांक:-12.11.2022

क्रमांक:-

- भूमिधारी तहसीलदार झालरापाटन/बकानी को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- नारायण आ० पूरीलाल निवासी टेकली तहसील बकानी


उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़